


तारीख
हुक्म

09/01/24

पत्रावली काउंटेस ड्रॉ करील जाय
 उपस्थित विद्यार्थीण अनुमोदित
 विद्यार्थीण को कोर्ट समय में तीन
 वार तीन-तीन काकाजें डिमांड
 गर्हे। आवकस काकाजें डिमांड के
 विद्यार्थीण अनुमोदित का विद्यार्थीण
 के खिलाफ एक तरफ कार्यवाही की
 जाती है करील जाय के पत्रावली
 पर बंदर सुनी। काउंटेस कलस के
 खिलाफ जाकर सुने न्यायालय के
 सुनाना गमना काउंटेस की पालनाय
 तद्वीर जारी है। पालना प्राप्त
 होने पर शकिल पत्रावली की जाय।
 पत्रावली विधि सुनार देकर शाखिल
 इफ्तार हो।


 न्यायालय के अधिकारी, न्यायालय

न्याय
 संख्या : 15
 मीस

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गुडामालानी (बाड़मेर)

पीठासीन अधिकारी श्री रामजी भाई कलबी आर.ए.एस

प्रकरण संख्या : 153/2023

प्रार्थीगण :-

1. माहिंगाराम पुत्र चेलाराम
जाति पुरोहित ब्राहमण निवासी आलपुरा तहसील गुडामालानी जिला बाड़मेर

बनाम

विप्रार्थीगण :-

1. किशन कुमार पुत्र छोगाराम
2. बलदेव पुत्र छोगाराम
3. सुरेश कुमार पुत्र छोगाराम
4. छगनाराम पुत्र हरजीराम
5. केसीदेवी पत्नी सांवलाराम
कौम कुम्हार निवासी आलपुरा तहसील गुडामालानी
6. रेशमीदेवी पत्नी बगाराम कौम नाई निवासी हाजाणियों की ढाणी
7. परमेश्वरकंवर पत्नी शैतानसिंह
8. शैतानसिंह पुत्र रुघनाथसिंह
जाति राजपूत निवासी आलपुरा तहसील गुडामालानी जिला बाड़मेर
9. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार गुडामालानी

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित

1. श्री चिमनसिंह चौधरी अधिवक्ता प्रार्थी
2. विप्रार्थीगण - एकतरफा

--: आदेश ::--

दिनांक :- 09.01.2024

प्रार्थीगण ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 सपठित धारा 128 रा. भूरा. अधिनियम हेतु, नेखम पैमाईश जरिये पत्थर गढी का विप्रार्थीगण के विरुद्ध पेश किया। प्रकरण दर्ज कर विप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। विप्रार्थीगण के विरुद्ध बाबजूद नोटिस तामील अनुपस्थित रहने से एक पक्षीय कार्यवाही की गई।


हमने प्रार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता श्री चिमनसिंह चौधरी की बहस सुनी एवं पत्रावली का अवलोकन किया। न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत अंतिम जमाबंदी 2078 (वर्ष 2021) से स्थायी सरहद मौजा आलपुरा पटवार हल्का आलपुरा के खेत खसरा नम्बर 204/3 रकबा 3.8850 हैक्टेयर का अवलोकन किया। जिसमें प्रार्थीगण का नाम बतौर खातेदारी दर्ज है। प्रार्थीगण की भूमि के चारों ओर सीमा चिन्ह व पक्की माटे नहीं होने से काश्त व प्राकृतिक पैदावार लेते समय तनाव व विवाद की स्थिति पड़ौसी खातेदारों के साथ उत्पन्न हो जाती है जिससे बचने के लिये प्रार्थीगण अपनी भूमि की पक्की नेखमबन्दी करवाना चाहते हैं। ऐसी स्थिति में दोनों पक्षकारों की उपस्थिति में विवादित भूमि का सीमाज्ञान करवाकर पक्के नेखम स्थापित करवाने में कोई आपत्ति प्रतीत नहीं होने एवं

Bayi

प्रार्थीगण विवादित भूमि का राजस्व अभिलेख में खातेदार दर्ज होने से प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार गुड़ामालानी को आदेशित किया जाता है दोनों पक्षकारों की उपस्थिति में विवादित खसरा सरहद मौजा मौजा आलपुरा पटवार हल्का आलपुरा के खेत खसरा नम्बर 204/3 रकबा 3.8850 हैक्टेयर भूमि के सम्बन्ध में सीमाज्ञान करवाकर चारों ओर पक्के नेखम स्थापित करावें। पक्के नेखम स्थापित करवाने हेतु भू-अभिलेख निरीक्षक, गुड़ामालानी को 500/- शुल्क पर कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। कमीश्नर शुल्क प्रार्थीगण मौके पर अदा करेंगे। आवश्यकता होने पर तहसीलदार गुड़ामालानी को थानाधिकारी पुलिस थाना गुड़ामालानी से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है। तहसीलदार गुड़ामालानी बाद पालना, पालना प्रतिवेदन प्रेषित करे। तहरीर जारी हो। पालना प्रतिवेदन प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली किया जावे। पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक 29/11/24 को खुले न्यायालय सुनाया गया।


(रामजी माई केलबी)
उपखण्ड अधिकारी, गुड़ामालानी